



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1825]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 24, 2011/आश्विन 2, 1933

No. 1825]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 24, 2011/ASVINA 2, 1933

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2011

का.आ. 2212(अ).—प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 2 के खंड (घ ब) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारी जो केन्द्र सरकार के पुरातत्व के निदेशक के स्तर से कम नहीं है, को उक्त अधिनियम की धारा 20ड के प्रयोजन हेतु, उक्त तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित क्षेत्राधिकार के संबंधित क्षेत्रों के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

तालिका

क्रम संख्या	अधिकारी का पद नाम	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)
1.	डॉ. बी. आर. मणि, अपर महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जनपथ, नई दिल्ली	समस्त भारत

[फा. सं. 1/8/2010-एम]
गौतम सेनगुप्ता, महानिदेशक

MINISTRY OF CULTURE

(Archaeological Survey of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2011

S.O. 2212(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (db) of Section 2 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby specifies the officer mentioned in column (2) of the Table given below, being officer not below the rank of Director of Archaeology of the Central Government, as the competent authority, for the respective areas of jurisdiction mentioned in column (3) of the said Table, for the purposes of Section 20E of the said Act.

TABLE

Sl. No.	Designation of the officer	Area of jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	Dr. B. R. Mani, Additional Director General, Archaeological Survey of India, Janpath, New Delhi	Whole of India

[F. No. 1/8/2010-M]

GAUTAM SENGUPTA, Director General



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1825]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 24, 2011/आश्विन 2, 1933

No. 1825]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 24, 2011/ASVINA 2, 1933

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2011

का.आ. 2212(अ).—प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 2 के खंड (घ ब) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारी जो केन्द्र सरकार के पुरातत्व के निदेशक के स्तर से कम नहीं है, को उक्त अधिनियम की धारा 20ड के प्रयोजन हेतु, उक्त तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित क्षेत्राधिकार के संबंधित क्षेत्रों के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

तालिका

क्रम संख्या	अधिकारी का पद नाम	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)
1.	डॉ. बी. आर. मणि, अपर महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जनपथ, नई दिल्ली	समस्त भारत

[फा. सं. 1/8/2010-एम]

गौतम सेनगुप्ता, महानिदेशक

MINISTRY OF CULTURE

(Archaeological Survey of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2011

S.O. 2212(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (db) of Section 2 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby specifies the officer mentioned in column (2) of the Table given below, being officer not below the rank of Director of Archaeology of the Central Government, as the competent authority, for the respective areas of jurisdiction mentioned in column (3) of the said Table, for the purposes of Section 20E of the said Act.

TABLE

Sl. No.	Designation of the officer	Area of jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	Dr. B. R. Mani, Additional Director General, Archaeological Survey of India, Janpath, New Delhi	Whole of India

[F.No. 1/8/2010-M]

GAUTAM SENGUPTA, Director General